न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान – हरफूल **बनाम** तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 **मुकदमा नं विविध** 148/ **वर्ष 2025**

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.9.25	प्रार्थी हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुरा व जिला सीकर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम भींचरों की ढाणी तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 2116/561, 2117/561, 2118/561 कुल किता 3 में से भूमि का कय किया था परंतु विकय पत्र में प्रार्थी का निवास स्थान बठोठ कर दिया गया जबकि विकय पत्र में बाठोंद था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी का गांव बठोठ के स्थान पर बाठोंद शुद्ध किया जावें। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार, सीकर से रिपोर्ट चाही गई। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट कमांक– भू.अ./25/3955 दिनांक 15.09.2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा ग्राम भींचरों की ढाणी तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 2116/561, 2117/561, 2118/561 कुल किता 3 में भूमि का कय जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत दिनांक 11.06.205 को कय किया था जिसमें केता हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल भडिया जाति जाट निवासी बठोठ तहसील फतेहपुरा व जिला सीकर के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पंजिकृत शुद्धि प्रलेख दिनांक 11.08.2025 में दर्ज पता हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल भडिया जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील फतेहपुरा व जिला सीकर दर्ज है। तहसीलदार सीकर द्वारा उपपंजीयक एवं मुदांक विभाग, सीकर द्वारा जारी किये गये शुद्धि पत्र के आधार पर केता हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल भडिया जाति जाट निवासी बठोठ तहसील फतेहपुरा के स्थान पर केता हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल भडिया जाति जाट निवासी बाठोंद तहसील फतेहपुर जिला सीकर करने बाबत् रिपोर्ट भिजवाई है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भींचरों की ढाणी पटवार हल्का तारपुरा तहसील व जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खसरा नम्बर 2116/561, 2117/561, 2118/561 में प्रार्थी का नाम हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल भडिया जाति जाट निवासी बठोठ तहसील फतेहपुर व जिला सीकर के स्थान पर हरफूल भडिया पुत्र प्यारेलाल भडिया जाति जाट निवासी बाठोंद तहसील फतेहपुर जिला सीकर शुद्ध किये जाने की स्वीकृति धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। [signature] /09/25 उपखण्ड अधिकारी सीकर	